तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती उगम कंवर बनाम उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर** **466 / 17**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित, उनकी बहस प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–10 स्वीकार करने में अपनी सहमति दी है। अतः अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–10 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। संशोधित उनवान पेश किया गया जो शामिल मिसल हो। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील विड्रो किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपस में समझौता हो गया है तथा पक्षकारान के मध्य अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही रहा है तथा पक्षकारान अब आगे मुकदमा लड़ना नही चाहते है एवं अपीलार्थीगण अब अपनी उपरोक्त उनवानी अपील को आगे चलाना नही चाहते तथा अपनी अपील विड्रो करना चाहते है जिसकी प्रार्थीगण को अनुमति दी जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट अपनी अपील को अब आगे नही चलाना चाहते है। ऐसी स्थिति में अब हस्तगत अपील को चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(के0सी0वर्मा)** संभागीय आयुक्त जयपुर। संभागीय आयुक्त	